सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 20/2016 **दायर तारीख :–** 22.03.2016

1. हरिप्रसाद
2. महेश चन्द
3. चेतन

पुत्रान हनुमानसहाय, समस्त जाति माली निवासी वार्ड न॰ 20 विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. हनुमानसहाय पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी लाड़ाकाबास तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर
2. देशराज
3. इन्द्राज

पुत्रान बालकनाथ

4. तोफली पत्नी बालकनाथ
5. रोशनी पुत्री बालकनाथ
6. रूकमा पत्नी रघुवीर नाथ
7. नाथूराम पुत्र मोती नाथ

समस्त जाति योगी निवासी पापड़ा तहसील विराटनगर

8. ओमपाल पुत्र लच्छूराम
9. शंकरलाल
10. भोलाराम

पुत्रान दल्लाराम

11. मिश्री देवी पत्नी दल्लाराम
12. बिमला
13. मुसी उर्फ लाली देवी

पुत्रियान दल्लाराम

समस्त जाति माली निवासी विराटनगर

14. रमेश चन्द पुत्र हनुमान प्रसाद (फौत)
    - 14/1. सुशीला देवी पत्नी रमेशचन्द
    - 14/2. अमित अग्रवाल
    - 14/3. संजय अग्रवाल
    - 14/4. नवीन अग्रवाल
    - 14/5. लवलेश गर्ग
    - 14/6. श्वेता गर्ग पुत्री रमेशचन्द

पुत्रान रमेशचन्द

समस्त जाति महाजन निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

15. गंगा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी विराटनगर
16. उप पंजीयक, तहसीलदार, तहसील विराटनगर जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
18. पटवारी हलका विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जजयपुर
19. भू–अभिलेख निरीक्षक विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं लगान व स्थायी निषेधाज्ञा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित : श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं॰ 1, 9, 10, 12, 13
एकपक्षीय कार्यवाही शेष प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1352 में दर्ज खसरा नम्बर 268/0.40, 270/0.23, 272/0.03, 274/0.24 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.90 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम तथा हिस्सा 17/36 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एवं हिस्सा 9527/900000 के बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वज बालकनाथ व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम तथा शेष हिस्सा 15473/900000 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा 17/36 मे से खसरा नम्बर 268/0.40, 270/0.23 हैक्टेयर हिस्सा 92/119 की भूमि प्रतिवादी संख्या 14 को विक्रय कर दी है, जिससे उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 27/119 दर हिस्सा 17/36 ही शेष रहा है। दर हिस्सा 17/36 मे प्रतिवादी संख्या 1 व 14 के हिस्सों की गणना करने पर उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/28 व प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 46/126 होता है। ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 354 संवत् 2069 से 2072 में दर्ज खसरा नम्बर 269/0.12 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 के पूर्वज दल्लाराम के नाम रही है, जिसके फौत होने से प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 उसके वंशज व विधिक वारिसान है तथा हिस्सा 38120/120000 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 15 तथा शेष हिस्सा 21880/12000 हिस्से के खातेदार वादीगण है। खाता संख्या 358 संवत् 2069 से 2072 के तहत स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 271/0.07, 277/0.18 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी दल्लाराम के नाम है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 13 मृतक के वंशज एवं विधिक वारिसान है तथा शेष हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आराजी मुतनाजा के साबिक सहखातेदार साबिक सैटलमेंट के समय से ही आपसी सहमति से खसरा नम्बर 272/0.03 हैक्टेयर चाह अलमशहुर धोरावाला स्थित है के उत्तर की तरफ स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 268, 269, 270 पर वादीगण व उनके पूर्वज जो हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है काबिज काश्त है तथा उक्त चाह से दक्षिण की तरफ स्थित भूमि के शेष हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार उपयोग–उपभोग करते आये है, लेकिन तत्समय साबिक खातेदार के अनपढ़ होने के कारण खातेदारी कब्जे काश्त के अनुसार पृथक–पृथक दर्ज नहीं होकर संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। वादीगण के पूर्व सहखातेदार हिस्सा 1/2 तथा शेष

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा 1/2 के खातेदार द्वारा भूमि का अन्तरण कर दिए जाने पर आराजी की वर्तमान खातेदारी अंकितानुसार खातेदारान के नाम चली आ रही है तथा संबंधित खातेदारन अपने अपने हिस्सों के अनुसार काबिज रहकर उपयोग करते चले आये है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 के पूर्वज तथा प्रतिवादी संख्या 14, 15 आराजी मुतनाजा के स्ट्रेन्जर परचेजर है, जो कानूनन रूप से आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराये बिना आराजी मुतनाजा के किसी भी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने अथवा कब्जा रखने के अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1352 में दर्ज खसरा नम्बर 268, 270, 272, 274 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर, खाता संख्या 354 में दर्ज खसरा नम्बर 269/0.12 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 358 में दर्ज खसरा नम्बर 271/0.07, 277/0.18 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार आराजी व लगान बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10, 12, 13 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 के फौत होने पर आदेश दिनांक 02.05.2018 से नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमपकाश सैनी तथा प्रतिवादी संख्या 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कौशिक ने अण्डर टेंकिग दी, परन्तु बार–बार अवसर दिए जाने उरान्त भी वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया, अर्थात प्रतिवादीगण को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी 1352 संवत् 2069–2072, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 354 संवत् 2069–2072, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 358 संवत् 2069–2072, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
4. प्रतिवादी संख्या 1 एवं 9, 10, 12, 13 का जवाब रहा कि वादीगण व उनके पूर्वज जो हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार है तथा चाह नम्बर 272 से उत्तर दिशा की तरफ हाल खसरा नम्बर 268/0.40, 270/0.23 तथा चाह नम्बर 272/0.05 हैक्टेयर कुल रकबा 0.6350 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 9, 10, 12, 13 को अपने हिस्से की भूमि के रूप में हाल खसरा नम्बर 277/0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 272/0.05, 274/0.24 हैक्टेयर तथा अन्य प्रतिवादीगण दक्षिण दिशा के तरफ की भूमि के साथ–साथ अन्य हिस्सा भूमि अपनी बंटवारे में दिया जाकर आपसी राजीनामा के अनुसार किए गये बंटवारे एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार कानूनी बंटवारा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. तारीख पेशी 16.08.2017 को अधिवक्ता वादी का निवेदन रहा कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है, अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त प्रकरण कर निस्तारण किया जावे। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को नियमानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
6. प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की आपत्ति रही कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव में वादीगण के कब्जा काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि मनमाने रूप से उनके कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 270/0.23 हैक्टैयर मे से मात्र खसरा नम्बर 270/1 रकबा 0.05 ही वादीगण को देना प्रस्तावित किया है तथा शेष रकबा 0.18 को प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त के विपरीत देना प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 269/0.12 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 को देना प्रस्तावित किया है साथ ही उक्त भूमि पर उनको मौके पर कब्जा नहीं होना बताया है। इसके अलावा खसरा नम्बर 271/0.065 हैक्टेयर को वादीगण को देना प्रस्तावित है, जिस पर उनका कब्जा नहीं है। यह भी कि प्रश्नगत आराजी के तीन तरफ पूर्व–दक्षिण–पश्चिम में पक्का सीमेंट रोड बना हुआ है, इस कारण अपने–अपने हिस्सो पर आवागमन एवं कृषि संसाधन के आवाजाही की कोई समस्या नहीं है। अतः बंटवारा प्रस्ताव को अपास्त फरमाया जावे।
7. तारीख पेशी दिनांक 13.03.2019 को उभय पक्षकारान की सहमति से बंटवारा प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की गई तथा पक्षकारान स्वयं की तरफ से बंटवारा प्रस्तुत करने की प्रार्थना स्वीकार की गई। उभय पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा उपस्थित पक्षकारान की आपसी सहमति से प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.03.2019 को पेश किया है, जिस पर अधिवक्तागण के हस्ताक्षर है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव के समर्थन में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 9 द्वारा आपसी सहमति लिखावट एवं अपने–अपने पहचान के दस्तावेज पेश कर अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार कानूनी बंटवारा किए जाने की सहमति प्रदान की है।
8. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1352 में दर्ज खसरा नम्बर 268/0.40, 270/0.23, 272/0.03, 274/0.24 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.90 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम तथा हिस्सा 17/36 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एवं हिस्सा 9527/900000 के बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वज बालकनाथ व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम तथा शेष हिस्सा 15473/900000 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा 17/36 मे से खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 268/0.40, 270/0.23 हैक्टेयर हिस्सा 92/119 की भूमि प्रतिवादी संख्या 14 को विक्रय कर दी है, जिससे उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 27/119 दर हिस्सा 17/36 ही शेष रहा है। दर हिस्सा 17/36 मे प्रतिवादी संख्या 1 व 14 के हिस्सों की गणना करने पर उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 3/28 व प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 46/126 होता है। इसी प्रकार खाता संख्या 354 संवत् 2069 से 2072 में दर्ज खसरा नम्बर 269/0.12 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 के पूर्वज दल्लाराम के नाम रही है, जिसके फौत होने से प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 उसके वंशज व विधिक वारिसान है तथा हिस्सा 38120/120000 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 15 तथा शेष हिस्सा 21880/12000 हिस्से के खातेदार वादीगण है तथा खाता संख्या 358 संवत् 2069 से 2072 के तहत स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 271/0.07, 277/0.18 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी दल्लाराम के नाम है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 13 मृतक के वंशज एवं विधिक वारिसान है तथा शेष हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10, 12, 13 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश कर कानूनी बंटवारा किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 11 के फौत होने पर आदेश दिनांक 02.05.2018 से नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी तथा प्रतिवादी संख्या 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कौशिक ने अण्डर टेंकिग दी, परन्तु बार–बार अवसर दिए जाने उरान्त भी वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं तथा अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकारान के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जिस पर आपत्ति रही कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव में वादीगण के कब्जा काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि मनमाने रूप से उनके कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 270/0.23 हैक्टैयर मे से मात्र खसरा नम्बर 270/1 रकबा 0.05 ही वादीगण को देना प्रस्तावित किया है तथा शेष रकबा 0.18 को प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त के विपरीत देना प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 269/0.12 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 को देना प्रस्तावित किया है साथ ही उक्त भूमि पर उनको मौके पर कब्जा नहीं होना बताया है। इसके अलावा खसरा नम्बर 271/0.065 हैक्टेयर को वादीगण को देना प्रस्तावित है, जिस पर उनका कब्जा नहीं है। यह भी कि प्रश्नगत आराजी के तीन तरफ पूर्व–दक्षिण–पश्चिम में पक्का सीमेंट रोड बना हुआ है, इस कारण अपने–अपने हिस्सो पर आवागमन एवं कृषि संसाधन के आवाजाही की कोई समस्या नहीं है। प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार की गई तथा पक्षकारान से आपसी सहमति से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया, जिसके मुताबिक खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 277/0.18 हैक्टेयर दल्लाराम पुत्र साधूराम (फौत) वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 को दिया जाना प्रस्तावित है तथा खसरा नम्बर 268/0.40, 270/0.23 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15 को दिया जाना प्रस्तावित है तथा खसरा नम्बर 274/0.24, 269/0.12, 272/0.03, 271/0.07 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 14 फौत वारिसान 14/1 लगायत 14/6, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को दिया जाना प्रस्तावित है। उक्तानुसार प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव को पक्षकारान से मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार सही होना बताया है तथा प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किए जाने पर सहमति पेश की है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तथा प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट स्पष्ट किया गया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके के खातेदार गंगा देवी पत्नि जगदीश प्रसाद कौम माली ने खसरा नंबर 269 में भूमि क्रय की गई थी, जिन्हे खसरा नंबर 268 एवं खसरा नंबर 270 में हिस्सा दिया गया है। प्रतिवादी रमेश चंद पुत्र हनुमान प्रसाद को खसरा नंबर 274, 269, 272, 271 किता 4 में हिस्सा दिया गया है। इन्होंने खसरा नंबर 268, 270 किता 2 में अपना हिस्सा क्रय किया गया था। वस्तुतः प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर उभय पक्षों की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए दावा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

10. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	दल्लाराम पुत्र साधूराम जाति माली	277/0.18 हैक्टेयर
2	हरिप्रसाद, महेश, चेतन पिता हनुमानसहाय हिस्सा 591880/630000, गंगा देवी पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 38120/630000 कोम माली सा. देह खातेदार	268/0.40, 270/0.23 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3	हनुमानदास पुत्र अर्जुन दास स्वामी हिस्सा 205000/460000, रमेशचंद अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन हिस्सा 1/2, बालकनाथ पुत्र रघूवीरनाथ, नाथूराम पुत्र मोतीनाथ, ओमपाल पुत्र लच्छूराम जाति माली सा. देह हिस्सा 15473/460000	274/0.24, 269/0.12, 272/0.03, 271/0.07 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
आज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. हरिप्रसाद
2. महेश चन्द
3. चेतन

} पुत्रान हनुमानसहाय, समस्त जाति माली निवासी वार्ड न॰ 20 विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— वादीगण

बनाम

1. हनुमानसहाय पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी निवासी लाड़ाकाबास तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर
2. देशराज
3. इन्द्राज

} पुत्रान बालकनाथ

4. तोफली पत्नी बालकनाथ
5. रोशनी पुत्री बालकनाथ
6. रूकमा पत्नी रघुवीर नाथ
7. नाथूराम पुत्र मोती नाथ

} समस्त जाति योगी निवासी पापड़ा तहसील विराटनगर

8. ओमपाल पुत्र लच्छूराम
9. शंकरलाल
10. भोलाराम

} पुत्रान दल्लाराम

11. मिश्री देवी पत्नी दल्लाराम
12. बिमला
13. मुसी उर्फ लाली देवी

} पुत्रियान दल्लाराम

} समस्त जाति माली निवासी विराटनगर

14. रमेश चन्द पुत्र हनुमान प्रसाद (फौत)
    - 14/1. सुशीला देवी पत्नी रमेशचन्द
    - 14/2. अमित अग्रवाल
    - 14/3. संजय अग्रवाल
    - 14/4. नवीन अग्रवाल
    - 14/5. लवलेश गर्ग
    - 14/6. श्वेता गर्ग पुत्री रमेशचन्द

} पुत्रान रमेशचन्द

} समस्त जाति महाजन निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

15. गंगा देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी विराटनगर
16. उप पंजीयक, तहसीलदार, तहसील विराटनगर जिला जयपुर
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
18. पटवारी हलका विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जजयपुर
19. भू–अभिलेख निरीक्षक विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 20/2016 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मातादीन शर्मा**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एडवोकेट व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम विराटनगर के खाता संख्या 1352 में दर्ज खसरा नम्बर 268, 270, 272, 274 कुल किता 4 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर, खाता संख्या 354 में दर्ज खसरा नम्बर 269/0.12 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 358 में दर्ज खसरा नम्बर 271/0.07, 277/0.18 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार आराजी व लगान बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई, जिसे स्वीकार किया गया तथा पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव पेश किया, तहसीलदार विराटनगर के द्वारा पक्षकारान के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति प्रदान की है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	दल्लाराम पुत्र साधूराम जाति माली	277/0.18 हैक्टेयर
2	हरिप्रसाद, महेश, चेतन पिता हनुमानसहाय हिस्सा 591880/630000, गंगा देवी पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 38120/630000 कोम माली सा. देह खातेदार	268/0.40, 270/0.23 हैक्टेयर
3	हनुमानदास पुत्र अर्जुन दास स्वामी हिस्सा 205000/460000, रमेशचंद अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन हिस्सा 1/2, बालकनाथ पुत्र रघूवीरनाथ, नाथूराम पुत्र मोतीनाथ, ओमपाल पुत्र लच्छूराम जाति माली सा. देह हिस्सा 15473/460000	274/0.24, 269/0.12, 272/0.03, 271/0.07 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 17.07.2019** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर